उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन) कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ—226007

संख्याः 🎖 🕻 ०५ / यू.पी.रेरा / प्रशा. / 2025–26

दिनांकः 22/08/2025

कार्यालय-आदेश

उ.प्र. भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की मा. पीठों द्वारा पारित आदेश के पश्चात् रिफंड / विलम्ब ब्याज के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण—पत्र जारी किया जाता है। प्राधिकरण के संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय प्रकरणों में मूल शिकायतकर्ता / आवंटी के देहावसान हो जाने के पश्चात् उत्तराधिकार का प्रकरण लंबित होने की दशा में वसूली प्रमाण—पत्र के सापेक्ष प्राप्त धनराशि मूल आवंटी के वास्तविक उत्तराधिकारी को अंतरित किये जाने में काफी विलम्ब होता है।

उक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरांत इंडेमनिटी बांड का प्रारूप अनुमोदित किया गया है, जो इस कार्यालय आदेश के साथ संलग्न है। प्राधिकरण की आदेश क्रियान्वयन शाखा में उत्तराधिकारियों को धनराशि अंतरित किये जाने के सम्बन्ध में इसी इंडेमनिटी बांड पर प्रस्ताव स्वीकार्य होगा।

अतः इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। संलग्नक—यथोक्त।

(महेन्द्र वर्मा) सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1. मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवलोकनार्थ कृपया।
- 2. विधि सलाहकार, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
- 3. वित्त नियंत्रक, उ.प्र. भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
- 4. संयुक्त सचिव/उपसचिव, उ.प्र. भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
- राजस्व (रिकवरी) अधिकारी, उ.प्र. भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
- 6. सिस्टम एनालिस्ट, उ.प्र. भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को पोर्टल पर आदेश अपलोड करने हेत् प्रेषित।

(उमा शृंकर सिंह) संयुक्त सचिव

INDEMNITY BOND

(Printed on non-judicial stamp paper of value Rs.500)

THIS IN	DEMNITY BOND is made on this day of (Month), (year) by ving				
i.	Sh./Smtaged about years R/o,				
ii.	Sh./Smt aged about years R/o,,				
iii.	Sh./Smt aged about years R/o,				
(hereinafter referred to as the "Executant(s)" which expression shall include their legal heirs,					
successor	s, executors, assignees and administrators of.				

IN FAVOUR OF

	Pradesh Real Estate Reg ER PART.	gulatory	Authority (herein	referred to	as UPRERA	A') of the
depos No knowi	REAS a sum of Rs ited by Late Sh admeasuring n as (Project Na on) (hereinafter referred to	 ime)	(name , for Pl .Sq. Ft./Sq. Yds. (_ situated at	of the dot/Apartmer	eceased allo nt/Floor/Villa . mtrs.) in th	ottee) R/o a/Shop/etc. ne Project,
	REAS the Executants/Apptitled as do not be pass a judgment dated	s "	Vs	***************************************	and Hon'ble	plaint No. UPRERA
WHE	REAS a Recovery Certifice/- (Rupees/. said judgment dated/.	ate wa	s issued vide no	dated /	/20 for an	amount of ompliance
been	amount which has been re received from the UP-Ratants/Applicants.	ceived EAT/et	against the said Rec	overy Certificed to the b	ficate issued bank accoun	and/or has t(s) of the
any so	REAS the Executants/Ap ort is pending against any r tribunal in India.	plicant person	s declares/affirms the representing the Ex	at there is no ecutants/Ap	o dispute or l plicants in a	itigation of
Henc	e, this bond is witnessed a	s follo	ws:			
1.	AND whereas the decommon which is decommon whereas the decommon whereas	ate end	(allottee of to closed), has left the formula control of the control of th	he said un following leged). The foll	it), who die gal heirs viz, owing list als	ed on date major and so contains
SN	Name	Age	Relationship	Bank	Bank	IFSC
			with	Name	Account number	Code
			the deceased		number.	
1	Sh./Smt		Wife			
2	Sh		Son			
3	Ms		Daughter			
L	1		***************************************			

2. AND that there are no other legal heirs of the deceased except those mentioned above and that there is no dispute or litigation of any sort is pending in this regard in any Court of law or Tribunal in India.

- 3. AND whereas, the Executants/Applicants executes this indemnity bond to indemnify the UPRERA or any of his officers/staff, against any third-party claim in respect of right, title or interest of the amount which is going to be transferred in the account of the above Executants/Applicants for which this indemnification bond has been made.
- 4. AND whereas in the event where any information to the contrary comes to the notice of the UPRERA as a result of any litigation in respect of right, title or interest of the above said recovered amount and any liability of any charge or encumbrances, the UPRERA shall be at liberty to initiate recovery proceedings against the executants.
- 5. That we all Executants/Applicants hereby stand surety and execute this indemnity bond for the genuineness of all the documents being submitted for the claim of recovered amount in the said complaint.
- 6. That, in case of any legal/financial claim/ liability arising out of any objection/ claim/ dispute by any other alleged heir except above mentioned Legal Heirs in future, then the executants and its legal heirs and successors hereby shall indemnify the UPRERA of any such legal/ financial claim/ liability.
- 7. That the liability arising out of any such claim shall be the sole responsibility of the Executants/Applicants and no compensation or legal action of any kind shall lie towards the Secretary. Uttar Pradesh Real Estate Authority, U.P. and the Executants/Applicants hereby and their legal heirs and successors shall be liable to make good the loss if any against all such valid claims.

agamst an such vand claims.	
	Name & address: Executant(s)
	1.
	2.
Place:	
Date:	

प्रतिज्ञा-पत्र (Indemnity Bond)

(500 रूपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर मुद्रित)

यह प्रतिज्ञा पत्र इस दिनांक (माह)(वर्ष) को निम्नलिखित द्वारा निष्पादित किया गया है:					
1. श्री / श्रीमती /कु, आयु लगभग वर्ष, निवासी,, (पूर्ण पता)					
2. श्री / श्रीमती/ कु, आयु लगभग वर्ष, निवासी,, (पूर्ण पता)					
3. श्री / श्रीमती / कु, आयु लगभग वर्ष, निवासी,, (पूर्ण पता)					
(इन्हें "निष्पादकगण" कहा जाएगा, जिसमें उनके वैध उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारिणी, प्रतिनिधि, कार्यपालक, और प्रशासक भी सम्मिलित माने जाएंगे।)					
पक्ष में:					
उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक पाधिकरण (यहाँ पर "उत्तर प्रदेश रेरा" संबोधित किया जाएगा।)					

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (यहाँ पर "उत्तर प्रदेश रेरा" संबोधित किया जाएगा।)

यह कि, रुपये							
	नी,						
(परिः	<u> योजना</u>	का	नाम)		के	अंतर्गत	स्थित
	इ / अपार्टमेंट / मंज़ि						कुट / वर्ग गज
(वर्ग मीटर) के लिए उ	नमा की गई थी ।	(जिसे आगे	"उक्त इव	गई '' कहा गया है) I	
ਹਨ (के, आवंटी / आवंटि	यों / निष्पादकग	ाण / शिका	यतकर्ता(३	ओं) ने उत्तर प्रदेश	ा रेरा के समक्ष शि	ाकायत संख्या
	र्श						
 थी 3	ौर माननीय उत्तर प्र	देश रेरा द्वारा दि	नाक/	/20	. को उनके पक्ष मे	ं निर्णय दिया गया	ि है।
ਧੜ '	कि, उक्त निर्णय का	अनपालन न	होने पर व	सुली प्रमा	णपत्र संख्या	, दिनांक	.//20,
	शि रुपये						
ਹ ਨ '	के, उक्त वसूली प्रमा	णपत्र के अंतर्गत	त वसूली से	ने/अपीलीय	। अधिकरण से ज	ो भी धनराशि प्रा	प्त हुई है, जिसे
	ादकगण/आवेदकों के						
यह '	कि, निष्पादकगण / ः	आवेदकों द्वारा व	यह घोषित	किया गय	ा है कि उनके प्रा	तेनिधित्व में किर	ी भी व्यक्ति के
	ू द्व किसी भी भारतीय						
	त नहीं है।						
अतः, यह प्रतिज्ञा-पत्र निम्नानुसार प्रमाणित करता है:							
1. उक्त मृतक श्री/श्रीमती पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी श्री / श्रीमती, निवासी							
	जिनका दिनाक / /20 को निधन हो गया है (मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न),						
उनके निम्नलिखित वैध उत्तराधिकारी हैं तथा उनके बैंक खाते के विवरण भी निम्न तालिका में अंकित हैं							
(बैंक खाता विवरण, पारिवारिक सदस्य प्रमाण-पत्र, पासबुक / रद्द चेक की प्रति संलग्न):-							
क्र.	नाम	आयु	मृतक रे	ने संबंध	बैंक का नाम	खाता संख्या	IFSC कोड
सं.	(श्री / श्रीमती / कु	.) (वर्ष)	(पत्नी /	पुत्र ।			
			पुत्री)				
1							
2							
3							

2. घोषणा की जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त मृतक के कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं हैं तथा उक्त मृतक के विधिक उत्तराधिकार के संबंध में कोई विवाद या मुकदमा किसी भी भारतीय न्यायालय या न्यायाधिकरण / अन्य फोरम में लंबित नहीं है।

- 3. यह कि, यह प्रतिज्ञा पत्र उत्तर प्रदेश रेरा या उसके किसी अधिकारी / कर्मचारी को किसी तीसरे पक्ष के दावे से सुरक्षा प्रदान करने के लिए निष्पादित किया जा रहा है।
- 4. यदि भविष्य में किसी प्रकार की प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आते हैं या कोई वाद उत्पन्न होता है, तो उत्तर प्रदेश रेरा उक्त निष्पादकगण के विरुद्ध वसूली / विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- य 6 ff.

·.	हम सभी निष्पादकगण इस प्रातज्ञा पत्र हतु प्रस्तुत दस्तावजा का	सत्यता का प्रमाणित करत हा					
i.	यदि भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति अपने उत्तराधिकार का दावा करता है, तो ऐसी किसी भी कानूनी / वित्तीव						
	जिम्मेदारी के लिए केवल निष्पादकगण व उनके उत्तराधिकारी उत्तरदायी होंगे और उत्तर प्रदेश रेरा किर						
	भी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।						
		निष्पादक/ निष्पादकगण (नाम व पता):					
ચ	ान:						
देन	गंक:						